भारत में सहकारिता का इतिहासः एक अवलोकन सहकारी बैंकों के विशेष संदर्भ में

*डॉ. गायत्री दीक्षित

सारांश

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का सर्वाधिक महत्व है क्योंकि इससे देश की 60% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग धन्धों पर जीवन निर्वाह करती है। राष्ट्रीय आय में लगभग आधा योगदान कृषि का है। देश के निर्यात का लगभग 70% कृषि एवं कृषिगत उद्योगों पर आधारित है। इसी कारण भारत की समृद्धि के लिये कृषि की प्रगति एवं समृद्धि आवश्यक है। कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद भी यह दुःखद स्थिति है कि ग्रामीण जनसंख्या का लगभग 90% भाग गरीबी रेखा से नीचे है तथा इसमें से अधिकतर ऋणग्रस्त है। कृषकों की आर्थिक दशा को सुधारने एवं ऋणदाताओं के चंगुल से बचाने के लिए यह अति आवश्यक है कि

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा योजनाबद्ध रूप से समय पर कृषि के विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्याप्त राशि में साख देने की व्यवस्था की जाए । भारत सरकार ने किसानों व दस्तकारों को महाजनों के शोषण से बचाने हेतु सर्वप्रथम सन् 1904 में "सहकारी साख अधिनियम" पारित किया। इस अधिनियम के बाद ही भारतीय सहकारी आन्दोलन का व्यवस्थित विकास प्रारम्भ हुआ। इस अधिनियम ने ग्रामीण किसानों को सस्ती दर पर ऋण सेवा उपलब्ध कराने में काफी मदद की। इसके बाद में सन् 1912 में एक सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया जिसमें सहकारी आन्दोलन को नई प्रेरणा मिली और सहकारिता के विकास में तीव्रता आई । भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद सन् 1951 में सहकारी आन्दोलन में तीव्रता लाने हेतु श्री ए.डी. गोखला की अध्यक्षता में "अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति स्थापित की। इस समिति की रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सहकारी आन्दोलन का विकास विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलित रूप से आरम्भ हुआ।

मुख्य बिंदु : अर्थव्यवस्था ,कृषि,सहकारिता ,आन्दोलन ,साहुकार,बैंक, रजिस्टार,समितियां

परिचय

भारत में सहकारिता आन्दोलन का प्रारम्भ वर्ष 1904 में हुआ था। इसके बाद भारतीय समाज में अपनी जड़ मजबूत करता हुआ और सफलता की कई सोपान पार करता हुआ यह आन्दोलन वर्ष 2004 में 100 वर्ष में प्रवेश कर गया। सहकारिता आन्दोलन का इतना लम्बा सफर और भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका योगदान अपने आप में एक महान उपलब्धि है। इन उपलब्धियों को लेकर देश की शीर्षस्थ सहकारी संस्थाएं विभिन्न स्तर पर सहकारिता के प्रचार-प्रसार का कार्यक्रम चला रही है।

20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में साहूकारों के कर्ज के जाल में फंसे भारतीय किसानों ने जब पाया कि इस आन्दोलन से उन्हें खेती के लिए कम व्याज दर पर धन मिल सकता है, साहूकारों के बोझ से उन्हें मुक्ति मिल सकती है और उनके पैदावार का उचित मूल्य पर विकवाली का प्रबंध हो सकता है तो उन्होंने व्यापक करीब तौर पर स्वतः इस आन्दोलन को स्वीकार किया और इसे सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दो दशक के अंतराल के बाद सहकारिता आन्दोलन से देश के कृषकों को जो लाभ मिला उससे सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सहकारिता के प्रति लोगों का विश्वास पक्का हुआ। इसके बाद लोगों ने सहकारिता आन्दोलन का जनाधार बढ़ाने के उद्देश्य से इसे ग्रामीण परिवेश से निकलकर शहरी क्षेत्र में रहने वाली मध्यवर्गीय जनता, संगठित क्षेत्रों में कार्यरत जनता और निम्नवर्ग की जनता के जीवन की जरूरत की चीजों की पूर्ति करना अपना उद्देश्य माना। इस तरह सहकारिता आन्दोलन में नए वर्ग का उदय हुआ।

उद्देश्य

1 कृषि के उत्पादन क्षेत्र में भागीदारी

2. पर्याप्त उत्पादन हेतु किसानो को ऋण की सुविधा उपलब्ध करना|

3. उत्पादको को उपयोगी ऋण उपलब्ध करना

4. दिए गए ऋण के उचित उपयोग का निरिक्षण एवं पर्यवेक्षण करना

5. छोटी छोटी बचत को अंश पूंजी और स्थाई जमा के रूप में प्राप्त करना

6. ऋण की वसूली करना।

7. कृषि विपणन में सहायता करना।

8. कृषकों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना।

9. कृषि पदार्थों का संग्रह करना।

10. उपयुक्त उद्देश्यों के लिए केंद्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना।

सहकारिता (Co-operation)

सहकारिता का सामान्य अर्थ मिलकर काम करने से है। दूसरे शब्दों में सहकारिता आर्थिक संगठन का ऐसा रूप है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिये संगठित होते हैं। सहकारिता का आशय एक दूसरे का शोषण करने की भावना न रखते हुए परस्पर सहयोग से मिलजुल कर काम करने से है। अतः सहकारिता एक ऐसा दर्शन है जिसमें पूँजी के स्थान पर व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है तथा जिसका प्राथमिक उद्देश्य समुदाय की सेवा करना है।

सहकारिता के अर्थ को अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ (I.LO.) द्वारा भी इन शब्दों में परिभाषित किया गया है कि "सहकारिता सीमित व्यक्तियों का एक संगठन है जो समान आर्थिक कठिनाईयों से जूझ रहे होते हैं। जो समान अधिकार तथा कर्तव्यों के आधार पर इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वेच्छा से संगठित होते है तथा अपनी आपसी जोखिम पर काम करते है और अपने एक या अधिक कार्यों को जो कि सामूहिक आवश्यकताओं के अनुसार होते हैं, इन संगठनों

में स्थानान्तरित करते है, जिसमें सामूहिक सहयोग द्वारा सामान्य नैतिक एवं भौतिक लाभ मिल सकें।" अर्थात सहकारिता समानता, स्वेच्छापूर्वक एवं जनतंत्र के आधार पर अपने समुदाय के हितों की उन्नति के लिए संगठित एक संस्था है।

सहकारी बैंकों की भूमिका

भारत में आर्थिक एवं सामाजिक जीवन की स्थिति 19वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में अति गम्भीर तथा दयनीय हो चुकी है। इस अवस्था में सुधार हेतु वर्ष 1994 में मैसूर सरकार के प्रयत्नों से मैसूर में कृषि बैंक पूर्णतया सहकारिता के सिद्धान्तों पर संचालित करने के उद्देश्यों से प्रारम्भ हुआ। इसका उद्देश्य सदस्यों में लाभ बांटने के लिए अर्जन करना नहीं था, बल्कि सदस्यों से धन जमा करके उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उसे उधार देने का उद्देश्य था।

भारत सरकार ने किसानों व दस्तकारों को महाजनों के शोषण से बचाने हेतु सर्वप्रथम सन् 1904 में "सहकारी साख अधिनियम" पारित किया। इस अधिनियम के बाद ही भारतीय सहकारी आन्दोलन का व्यवस्थित विकास प्रारम्भ हुआ। इस अधिनियम ने ग्रामीण किसानों को सस्ती दर पर ऋण सेवा उपलब्ध कराने में काफी मदद की। इसके बाद में सन् 1912 में एक सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया जिसमें सहकारी आन्दोलन को नई प्रेरणा मिली और सहकारिता के विकास में तीव्रता आई । भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद सन् 1951 में सहकारी आन्दोलन में तीव्रता लाने हेतु श्री ए.डी. गोखला की अध्यक्षता में "अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति स्थापित की। इस समिति की रिपोर्ट के सुझावों के आधार पर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सहकारी आन्दोलन का विकास विभिन्न क्षेत्रों में सन्तुलित रूप से आरम्भ हुआ। राजस्थान राज्य स्वतंत्रता से पूर्व ग्रामीण किसान साहुकारों के कर्ज में डूबे हुए थे। भीषण कर्जदारी के बोझ से तिल- मिला कर (भारत देश में सन् 1904 में प्रथम सहकारी कानून बनने के बाद) राजस्थान में सहकारी आन्दोलन प्रारम्भ करने के प्रयास होने लगें। फलस्वरूप अजमेर राज्य में प्रथम सहकारी कानून सन् 1906 में बन गया।

राजस्थान में सहकारी बैंकों की स्थिति:

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के दिनांक 14 नवम्बर 2001 व राजस्थान सोसाइटी नियम 2003 के 30 अक्टूबर के 2004 को प्रभावी हाने के पश्चात रजिस्टार, सहकारी समितियों द्वारा फैडरेशन के नवीन उपनियम दिनांक 5 मार्च 2007 को पंजीकृत किये गये हैं। राज्य की 40 अरबन को-ऑपरेटिव बैंक फैडरेशन की सदस्य हैं जिसमें रेल्वे श्रमिक सहकारी बैंक लिमिटेड, बीकानेर ने दिनांक 26 जुलाई 2008 को फैडरेशन की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीकानेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक की सदस्यता दिनांक 01 सितम्बर 2007 को संचालक मण्डल ने समाप्त कर दी। सदस्य बैंकों में से दो बैंक गंगानगर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 8 सितम्बर 2004 से व लोक विकास अरबन को-ऑपरेटिव बैंक 11 अक्टूबर 2004 से अवसायन में है। बीकानेर अरबन को-ऑपरेटिव बैंक को सोसाइटी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशान्तर्गत 30 अगस्त से है। इससे पूर्व अरबन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बांसवाड़ा व यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर 8 अक्टूबर 1976 में अवसायन में जा चुकी हैं।

सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति

1. भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के फलस्वरूप एक भी बैंक अनुसूचित बैंक नहीं है।

2. 37 बैंक Grade I और II में वर्गीकृत है।

3. एक बैंक Grade III में है ।

4. एक बैंक Grade IV में है।

5. एक ही बैंक ऐसी है जिसके पास रिजर्व बैंक का लाइसेंस नहीं है।

राजस्थान राज्य की सभी अरबन बैंक ग्राहकों के साथ एक पारिवारिक माहौल बनाकर व व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करके एक विशिष्ठ रूप से अपनी शैली अपनाकर कार्य कर ग्राहक का विश्वास जीतने में सफल हुई है। अरबन कॉपरेटिव बैंक उनके बीच है जो आज भी अपनत्व को प्राथमिकता देते हैं तथा परिस्थितियों में शीघ्र निणर्य लेने की क्षमता रखते हैं।

सहकारी बैंकों का महत्व (Importance of Urban Co-operative Banks)

मैगलेगन समिति ने विभिन्न राज्यों में सहकारी आन्दोलन में समन्वयक स्थापित करने के लिए एक-एक शीर्ष बैंक की स्थापना की सिफारिश की। इसके लिए समिति ने निम्न लिखित आधार प्रस्तुत किये ;-

1 केन्द्रीय बैंकों के- प्रति जन विश्वास व समर्थन में कमी यह भी अनुभव किया गया कि अपने कार्य-संचालन में केन्द्रीय सहकारी बैंक जनता का विश्वास व समर्थन प्राप्त करने में असफल रहे हैं। इसी कारण वे जनता से जमायें प्राप्त नहीं कर पाये हैं। अध्ययन से पाया गया कि केन्द्रीय बैंकों के प्रति जनविश्वास जागृत करने के लिए एक शीर्ष संस्था होनी चाहिए। समिति का मानना था कि अरबन बैंक की स्थापना से केन्द्रीय बैंकों के कार्य संचालन में सुधार होगा और वे पुनः जनविश्वास प्राप्त कर सकेंगे।

2. केन्द्रीय बैंकों के पारस्परिक लेन-देन पर नियन्त्रण समिति ने यह आशंका व्यक्त की थी कि यदि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पारस्परिक लेन-देनों पर उचित नियन्त्रण नहीं रखा गया तो उनके पारस्परिक ऋण मिल जायेंगे जिससे इनके दायित्व निर्धारण में कठिनाई पैदा हो जायेगी। अध्ययन में पाया गया कि अरबन बैंकों की स्थापना की जाये तो विभिन्न केन्द्रीय बैंकों के मध्य ये बैंक सन्तुलन केन्द्र का काम करे तथा एक क्षेत्र की अतिरिक्त बचत को अन्य कम बचत वाले क्षेत्रों में स्थानान्तरित करने में योगदान दे सके।

3. केन्द्रीय बैंकों के कार्यों में एकरूपता प्रत्येक राज्य में बड़ी संख्या में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना की गई थी लेकिन उनके कार्यों में एकरूपता व समन्वय का अभाव था। अत: विभिन्न केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कार्यों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से अरबन बैंक की स्थापना की जानी चाहिए।

4. सहकारी आन्दोलन व मुद्रा बाजार के मध्य सम्पर्क-अध्ययन के अनुसार सहकारी आन्दोलन मुद्राबाजार में सम्पर्क होना आवश्यक है। इसके लिए अरबन बैंकों की स्थापना आवश्यक समझी गई है। यह संस्था मुद्रा बाजार से सहकारी आन्दोलन के लिए आवश्यक वित्त प्राप्त करने का कार्य करेगी। जिससे व्यवसाय में वृद्धि होगी।

5. सहकारी बैंकों की धीमी गति-अध्ययन में पाया गया कि सन् 1915 में गठित समिति का सुझाव था कि भारत में को-ऑपरेटिव बैंकों की स्थापना के 3-4 वर्षों बाद भी इनकी प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही। कुछ राज्यों में को-ऑपरेटिव बैंकों ने उल्लेखनीय प्रगति की है जबकि कुछ राज्यों में उनकी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है तथा शेष राज्यों में तो इन्होंने

कोई कार्य ही नहीं किया है। ये बैंक न तो जमायें आकर्षित कर पाये हैं और न ही इनके अपने वित्तीय साधन पर्याप्त हैं। अतः एक ऐसी संस्था की स्थापना आवश्यक हैं जो को-ऑपरेटिव बैंकों को सन्तुलित विकास में योगदान दे सकें।

सहकारी बैंकों में प्रबन्ध का महत्व:-

किसी भी संस्था का अस्तित्व एवं उसकी सफलता उसके प्रबन्ध पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में किसी बैंक का प्रबन्ध जितना अधिक व्यवस्थित होगा, वह बैंक उतनी ही कुशलता से कार्य कर सकेगी और बैंक विकास की ओर अग्रसर होगा। आज के समय में अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों को अन्य व्यापारिक व निजी बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती। है । अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों को बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों में सामयिक निर्णय लेने होते है व तकनिकी विकास की ओर भी ध्यान देना होता है। अध्ययन में पाया गया कि आज का ग्राहक बैंकों से इतनी अधिक अपेक्षाएँ रखता है कि यदि उससे सम्बन्धित प्रकरणों में शीघ्र निर्णय न हो तो वह बैंक से सम्बन्ध विच्छेद करने में हिचकिचाता नहीं है। वह तुरन्त ही अधिक सुविधा देने वाले बैंक में चला जाता है। अतः अरबन बैंकों में आज व्यवहारिक प्रबन्ध की हर स्तर पर आवश्यकता है।

अध्ययन में पाया गया कि अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों में भी यदि वित्तीय प्रबन्ध समुचित न हुआ तो बैंक की स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। पिछले वर्षों में बैंकिंग इतना बदला है कि उसके साथ-साथ चलने में भी एक अच्छे प्रबन्ध की आवश्यकता है अन्यथा कोई भी बैंक पिछड़ कर रह जायेगी और उसे दिवालिया घोषित कर दिया जायेगा। इस बदलते हुए सामाजिक व आर्थिक परिवेश में अरबन बैंकों की उत्पादकता व लाभदायकता को बनाये रखना व उसमें वृद्धि करना सबसे बड़ी चुनौती है।

सहकारी बैंकों की सफलता में निम्न तत्व होने चाहिये -

1 उच्च कोटि की ग्राहक सेवा

2 सही समय पर सही निर्णय

3 पर्याप्त पूंजी

4 ग्राहकों के स्रोत

5 प्रबन्ध की प्रभावी गुणवत्ता

सहकारी बैंकों के कार्य :

1. बैंक के सदस्यों के बीच सहकारिता व स्वयं सहायता को प्रोत्साहित करना।
2. जनता से जमाओं को स्वीकार करना तथा जिसका भुगतान वह जब भी मांगे या निश्चित अवधि के बाद देना। जिसे वह चैक, ड्राफ्ट द्वारा निकाल सके।
3. इस अमानत राशि को ऋण पर देना या विनियोजन करना।
4. बैंक द्वारा उधार लेकर धन को एकत्रित करना।
5. लोगों के जमानत के आधार पर या बिना जमानत के आधार पर ऋण देना।

6. शहरी क्षेत्र में जन साधारण से अमानतों की राशि प्राप्त कर लघु उद्यमी, छोटे व्यापारियों, दस्तकारों, कुटीर उद्योगों एवं उपभोक्ताओं को ऋण उपलब्ध कराना।
7. शहरी क्षेत्र में जनसाधारण से अमानतों की राशि स्वीकार करना, उनके द्वारा कर्ज और विनियोग के उद्देश्यों के विरुद्ध चैक्स, ड्राफ्टस, आदेश द्वारा मांग करने पर वापसी भुगतान करना आदि।

सहकारी बैंको के दोष :

1. असंतुलित विकास
2. सहकारी लाभों का असमान वितरण
3. दुर्बल सरंचना
4. निहित स्वार्थी वर्गों का प्रभुत्व
5. ऋणों का अनुत्पादक उपयोग
6. निजी साधनों का आभाव
7. बकाया ऋणों में वृद्दि

सहकारी बैंको के दोषों के निवारण हेतु **सुझाव** :

1. क्षेत्रीय असंतुलन का निवारण
2. सहकारी साख को सहकारी विपणन से जोड़ना
3. अल्पकालीन साख को दीर्घकालीन साख से जोड़ना
4. एकीकरण और पुनर्गठन
5. बहुउद्देशीय समितियों कि स्थापना करना
6. कमजोर वर्ग को अधिक सहायता
7. जमा राशियाँ जुटाना
8. बकाया ऋणों कि समस्या का निवारण

***Assistant Professor**
P.G. College of Higher Eduction, Jaipur

सन्दर्भ सूची

1. राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003
2. सत्येन्द्र कुमार बंसल बैंकिंग सचेतता, पृष्ठ 26

3. सत्येन्द्र कुमार बंसल बैंकिंग सचेतता, पृष्ठ 27
4. सत्येन्द्र कुमार बंसल पूर्वोक्त, पृष्ठ 35-40
5. सत्येन्द्र कुमार बंसल पूर्वोक्त, पृष्ठ 15
6. सत्येन्द्र कुमार बंसल - पूर्वोक्त, पृष्ठ 19
7. पी. एन. वाष्णेय बैंकिंग के सिद्धान्त, पृष्ठ 27
8. पी. एन. वाष्णेय पूर्वोक्त, पृष्ठ 28
9. राज्य के अरबन को-ऑपरेटिव बैंकों का प्रगति विवरण 2011-12 से 2020-21 से
10. पी. एन. वाष्णेय 1 पूर्वोक्त, पृष्ठ 52
11. डॉ. अग्रवाल, माथुर एवं गुप्ता, सहकारी चिन्तन एवं ग्रामीण विकास, पृष्ठ 146
12. डॉ. अग्रवाल, माथुर एवं गुप्ता, पूर्वोक्त, पृष्ठ 146
13. पी. एन. वाष्णेय पूर्वोक्त, पृष्ठ 73 -
14. सकूलर ऑफ को ऑपरेटिव बैंक्स, नवम्बर, 2021
15. मॉडल बाइलॉज ऑफ ए प्राइमरी को-ऑपरेटिव बैंक्स
16. वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 की राजस्थान अरबन को-ऑपरेटिव बैंक